

प्रेषक,

दीपक नाथ सरस्वती,
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
कोर्ट सं०-२, गोरखपुर।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
जनपद-गोरखपुर।

विषय- प्रापटी स्टेटमेण्ट विलम्ब से प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

ससम्मान पूर्वक निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश द्वारा सी०एल० संख्या-16/IV-16/एडमिन (ए) के अनुपालन में मेरे द्वारा अपना प्रापटी स्टेटमेण्ट प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रापटी स्टेटमेण्ट माननीय उच्च न्यायालय के सामक्ष प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कारण इस संदर्भ में अज्ञानता व कोरोना महामारी है। विलम्ब के लिए प्रार्थी क्षमा की याचना करता है। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि नहीं होगी।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रापटी स्टेटमेण्ट का सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखने की कृपा करें। प्रार्थी सदैव आपका आभारी रहेगा।

सादर।

दिनांक:- 09.12.2021

भवदीय

D.r. Saraswati
09/12/2021

(दीपक नाथ सरस्वती)

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
कोर्ट सं०-२, गोरखपुर।